संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक/स्थापना नर्सिंग/127/2021/ 380 **नवा रायपुर, दिनांक** 24/05/2021

संयुक्त विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार **संभाग स्तरीय** स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित वेतनमान **(लेवल–7) 28700–91300** पर **प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम** से पद पूर्ति किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन **दिनांक 27.05.2021 से दिनांक 26.06.2021 तक कार्यालयीन समय शाम 05.00 बजे तक** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** पर आमंत्रित किए जाते है।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	संभाग का नाम	प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) के पदों पर सीधी भर्ती (सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से) के रिक्त पद (संभाग में संधारित आरक्षण रोस्टर अनुसार)												
		कुल रिक्तियों वर्गवार					कुल रिक्तियों में भू.पू.सै. वर्गवार				कुल रिक्तियों में दिव्यांग वर्गवार			
		कुल रिक्त पद	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अपिव.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अपिव.
1	रायपुर	98	57	12	16	13	5	1	1	1	3	0	1	0
2	बिलासपुर	57	25	10	14	8	3	1	1	1	2	1	1	1
3	बस्तर	54	10	1	36	7	1	0	3	0	0	0	2	0
4	सरगुजा	58	15	3	32	8	1	0	3	0	1	0	2	0
	योगः–	267	107	26	98	36	10	2	8	2	6	1	6	1

नोट :–

1. शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अर्हता –

(1) बी.एस.सी (नर्सिंग) या पी.बी. बी.एस.सी. नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरीष्ठ प्रसूति विज्ञान (सिनियर मिडवाईफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये।

(2) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(3) मितानिनों की सीमित सीधी भर्ती हेतु उपरोक्त उल्लिखित अर्हताओं के साथ निम्न अर्हताएं होना आवश्यक हैः–

(एक) 5 वर्ष की कालावधि तक निरंतर /अबाधित मितानिन के रूप में कार्य किया हो;

(दो) मितानिन के दायित्वों से पदच्युत न किया गया हो; और

(तीन) मितानिन के रूप में कार्य के दौरान मितानिन के कर्तव्यों से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज न हो।

2. स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) पद हेतु प्रशिक्षित मितानिन के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु केवल छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

3. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा** –आयु सीमा 01.01.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है, परंतु किसी भी स्थिति में आयु के संबंध में समस्त प्रकार के छूट उपरांत अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होंगे।

4. उक्त पद हेतु केवल OL (एक पैर) दिव्यांग ही पात्र होंगे, दिव्यांगजनों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

5. उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन मान्य होंगे, भर्ती के संबंध में नियम, शर्ते, अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की विधि/प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** पर देखा जा सकता है।

6. **सीधी भर्ती का तरीका** :–उक्त पदों पर भर्ती केवल प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित पद पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जावेगा।

7. सीमित विभागीय परीक्षा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. (नियुक्तिकर्ता अधिकारी) द्वारा आयोजित किए जाऐंगे। **सीमित विभागीय परीक्षा की तिथि, स्थान एवं समय की सूचना विभागीय वेबसाईट में पृथक से जारी किए जाएगे।**

8. समस्त विज्ञापित संभाग की सीमित विभागीय परीक्षा एक ही दिन एवं एक ही समय में आयोजित होगा। अतः अभ्यार्थी विज्ञापित पदों का भलि–भांति अवलोकन कर केवल एक संभाग हेतु आवेदन कर सकेंगे। अभ्यार्थी जिस एक संभाग हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी संभाग में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे एवं उक्त संभाग हेतु पात्र माने जायेंगे।

9. उक्त पदों हेतु केवल ऑन–लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे, भर्ती के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की विधि/प्रक्रिया तथा सीमित विभागीय परीक्षा पद्धति, नियम, शर्ते, परीक्षा पाठ्यक्रम एवं सीमित विभागीय परीक्षा के संचालन संबंधी समस्त जानकारी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** पर देखा जा सकता है। किसी भी अभ्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी, अतः अभ्यार्थी समय–समय पर विभागीय वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

सामान्य नियम–शर्तें एवं आवश्यक निर्देश

1. छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होंगे।
2. **शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अर्हता –** अभ्यार्थियों द्वारा विज्ञापित पदों के लियेः–
   (1) बी.एस.सी (नर्सिंग) या पी.बी. बी.एस.सी. नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान (सिनियर मिडवाईफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये।
   (2) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
   (3) मितानिनों की सीमित सीधी भर्ती हेतु उपरोक्त उल्लिखित अर्हताओं के साथ निम्न अर्हताएं होना आवश्यक हैः–
   (एक) 5 वर्ष की कालावधि तक निरंतर/अबाधित मितानिन के रूप में कार्य किया हो;
   (दो) मितानिन के दायित्वों से पदच्युत न किया गया हो; और
   (तीन) मितानिन के रूप में कार्य के दौरान मितानिन के कर्तव्यों से संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो।
3. स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु केवल छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार ही पात्र होंगे।
4. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल में उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता के अनुसार **जीवित पंजीयन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।**
6. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। **इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
7. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा–**आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होंगे।
   7.1 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।
   7.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी विशेष वर्ग जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत् लागू रहेंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
   7.3 आयु सीमा छूट के संबंध में **मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
8. (अ) छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें **सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता का मूल प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संभागीय मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरांत जारी प्रमाण पत्र को मान्य किया जावेगा।**
   (ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदों के लिये उपयुक्त OL (एक पैर) दिव्यांग ही पात्र होंगे। **मूल प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
9. अनु.जाति. अनु.जनजाति एवं अ.पि.वर्ग हेतु पदों का निर्धारण संभाग में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। जाति से संबंधित आरक्षण हेतु **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
10. उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन(सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है किन्तु किसी भी परिस्थिति में विज्ञापित कुल पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा।
11. भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा। **भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
12. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। **उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
13. छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत मितानिन के रूप में 5 वर्ष का अबाधित (निरंतर) रूप से कार्यरत होने के संबंध में **केवल राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र (SHRC)** द्वारा **जारी प्रमाण पत्र ऑन–लाईन आवेदन करते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा** तथा **मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
14. **विज्ञापन में चाहें गए समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के आवेदन करने की पूर्व तिथि का होना अनिवार्य है, उसके बाद जारी दस्तावेज/प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जावेगा।**

Scanned with CamScanner

15. आवेदन करने के पूर्व विस्तृत जानकारी संभागवार एवं संवर्गवार रिक्त पद की स्थिति अवश्य देख लेंवे। जिस संभाग के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस संभाग में आपके संवर्ग का पद रिक्त होने पर ही आवेदन करें।

16. अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पायी जाती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के अर्हता समाप्त किए जाने के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

17. **चयन हेतु मापदण्ड :–** सीमित विभागीय परीक्षा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. (नियुक्तिकर्ता अधिकारी) द्वारा आयोजित किए जाएँगे एवं प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा एवं मेरिट के आधार पर ही संवर्गवार आरक्षण अनुसार चयन की प्रकिया की जावेगी।

18. समस्त विज्ञापित संभाग की सीमित विभागीय परीक्षा एक ही दिन एवं एक ही समय में आयोजित होगा। अतः अभ्यार्थी विज्ञापित पदों का भलि–भांति अवलोकन कर केवल एक संभाग हेतु आवेदन कर सकेंगे। अभ्यार्थी जिस एक संभाग हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी संभाग में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे एवं उक्त संभाग हेतु पात्र माने जायेंगे।

19. **सीमित विभागीय परीक्षा कुल 50 प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ स्वरूप (Objective Type) के होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के 05 प्रश्न, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों/विभिन्न योजनाओं से संबंधित के 10 प्रश्न एवं बी.एस. सी (नर्सिंग) या पी.बी. बी.एस.सी. नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिश्ठ प्रसूति विज्ञान (सिनियर मिडवाईफरी) प्रशिक्षण एवं जॉब चार्ट से संबंधित 35 प्रश्न होंगे।**

20. सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा न्यूनतम 33 प्रतिशत अर्हकारी अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 23 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त से कम अंक प्राप्त होने पर चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

21. **सीमित विभागीय परीक्षा की तिथि, स्थान एवं समय की सूचना विभागीय वेबसाईट में पृथक से जारी किए जाएगे।** सीमित विभागीय परीक्षा पद्धति, नियम, शर्ते परीक्षा पाठ्यक्रम एवं सीमित विभागीय परीक्षा के संचालन संबंधी जानकारी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** पर देखा जा सकता है। किसी भी अभ्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी, अतः अभ्यार्थी समय–समय पर विभागीय वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

22. उक्त पदों हेतु केवल ऑन–लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, **ऑन–लाईन आवेदन में फोटों एवं हस्ताक्षर नमूना अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा** ताकि सीमित विभागीय परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जा सकें। आवेदक द्वारा फोटों एवं हस्ताक्षर नमूना अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में सीमित विभागीय परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक के स्वयं की होगी।

23. सीमित विभागीय परीक्षा उपरांत जारी मेरिट सूची अनुसार संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. (नियुक्तिकर्ता) अधिकारी द्वारा आरक्षण रोस्टर अनुसार संवर्गवार अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त पात्र–अपात्र की सूची जारी कर एवं दावा आपत्ति लेने के उपरान्त चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। तद्उपरांत नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें।

24. प्रतीक्षा सूची संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. द्वारा वर्गवार/संवर्गवार तैयार किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैद्य रहेगी।

25. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 28.07.2020 के तहत "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा" एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होंगे।

26. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यान पूर्वक भरी जावे तथा चाहे गये दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करें। **आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यार्थी की होगी।**

27. **विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन** :– इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही जाएगा एवं नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ

Scanned with CamScanner